

राजस्व अपील संख्या 456/2022

अनदान  
श्रीमती रिमझू बनाम राज्य

दिनांक 02-09-2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित आदेश क्रमांक/प्र.ग.स/2021/721 दिनांक 09.02.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांत अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2022 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांत अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांत की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित आदेश क्रमांक/प्र.ग.स/2021/721 दिनांक 09.02.2022 के क्रम में प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार लोहावट को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित पक्षकारो/हितबद्ध लोगो की उपस्थिति में मौका निरीक्षण करे तथा मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा भी तैयार किया जावे। तत्पश्चात अपीलांत/हितबद्ध पक्षकारो की सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,  
जोधपुर